


75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



भरतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक लेखे 2023-24

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड



सत्यमेव जयते

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

वार्षिक लेखा

2023-24

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली-110001
टेलीफोन: +91 11 2346 2900
वैबसाइट : ibbi.gov.in



इस पृष्ठ को अभिप्रायपूर्वक खाली छोड़ा गया है।

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	5
2.	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	7-9
3.	पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उपाबंध	10
4.	तुलनपत्र	11
5.	आय और व्यय लेखा	12
6.	प्राप्ति और भुगतान लेखा	13-14
7.	तुलनपत्र की अनुसूचियां	15-24
8.	आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां	25-30
9.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	31-32
10.	आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण	33-49
11.	लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों का अनुपालन	50



इस पृष्ठ को अभिप्रायपूर्वक खाली छोड़ा गया है।

परिचय

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के अनुसार तारीख 1 अक्टूबर, 2016 को की गई थी। यह संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी पारिस्थितिक-तंत्र का प्रमुख स्तंभ है, जो कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों को, उद्यमिता, उधार की उपलब्धता का संवर्धन करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम सीमा तक ले जाने के लिए समेकित और संशोधित करता है।

बोर्ड, दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर विनियमनकारी निगरानी रखता है। यह संहिता के अधीन प्रक्रियाओं, अर्थात्, कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट समापन, व्यष्टिक दिवाला समाधान और व्यष्टिक शोधन अक्षमता के लिए नियम बनाता है और उन्हें प्रवर्तित करता है। उसका कार्य संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं और अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और पद्धतियों का विकास करना और उन्हें विनियमित करना है। इसे कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए 'प्राधिकारी' के रूप में पदाभिहित किया गया है।

संहिता की धारा 223(1) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 जारी किए।

संहिता की धारा 223(2) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और पत्र सं. रिपोर्ट/4(2)/प्रकीर्ण/एस.ए.आर./2023-24/313-15, तारीख 1 नवम्बर, 2024 द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की है।

इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा और उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित प्ररूप में प्रस्तुत की गई है। इसे संहिता की धारा 223(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है।



इस पृष्ठ को अभिप्रायपूर्वक खाली छोड़ा गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षककी पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

...

1. हमने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) के 31 मार्च, 2024 को यथा-विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 223(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करना भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के प्रबंधतंत्र का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधियों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक्-पृथक् प्रतिवेदित किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा का आयोजन और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में की रकम और प्रकटन का समर्थन करते हैं। किसी लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान किए गए हैं।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

- i हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- ii इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 के नियम 3 और 4 अधीन लेखा प्ररूप में तैयार किए गए हैं।
- iii हमारी राय में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रतीत होता है।

iv) हम इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

लेखा टिप्पण

क. तुलनपत्र

क.1 चालू दायित्व और प्रावधान(अनुसूची-VII): 50.02 करोड़ रुपए

क.1.1 सहायता अनुदान पर ब्याज, शास्ति और अदावाकृत आगम: 2.18 करोड़ रुपए

उपर्युक्त के अंतर्गत समापन और स्वैच्छिक समापन रकम के अवितरित आगमों पर उपार्जित ब्याज मध्ये 38.56 लाख रुपए की रकम शामिल नहीं है ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के क्रमशः विनियम 46 और विनियम 39 में बोर्ड के लिए यह उपबंध किया गया है कि किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई हैं और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम को जमा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोला जाए । तदनुसार, बोर्ड ने क्रमशः समापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करने के लिए दो पृथक्-पृथक् खाते खोले हैं ।

आई.बी.बी.आई. ने समापन और स्वैच्छिक समापन रकमों के अवितरित आगमों पर उपार्जित ब्याज के मध्ये अन्य चालू दायित्व के अधीन 2.05 करोड़ रुपए की रकम दर्शाई है, जिसमें से 0.35 लाख रुपए की रकम आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में प्राप्त ब्याज से संबंधित है । तथापि, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा दिए गए बैंक प्रमाणपत्र के अनुसार, आई.बी.बी.आई. ने वर्ष 2023-24 के दौरान 38.91 लाख रुपए का ब्याज उपार्जित किया है(जिसमें स्वैच्छिक समापन खाते पर 16.14 लाख रुपए और समापन खाते पर 22.77 लाख रुपए की रकम शामिल है)

इसके परिणामस्वरूप, चालू दायित्व और प्रावधान में 38.56 लाख रुपए (38.91 लाख रुपए - 0.35 लाख रुपए) का कम कथन किया गया है और चालू आस्तियों में भी इतनी ही रकम का कम कथन किया गया है ।

ख. सहायता अनुदान

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) का तारीख 1 अप्रैल, 2023 को सहायता-अनुदान में आरंभिक अतिशेष 'शून्य' था । आई.बी.बी.आई. ने भारत सरकार से 19.00 करोड़ रुपए का [सहायता अनुदान(साधारण) - 8.00 करोड़ रुपए और सहायता अनुदान(वेतन) - 11.00 करोड़ रुपए] अनुदान प्राप्त किया । आई.बी.बी.आई. ने वर्ष के दौरान 19.00 करोड़ रुपए का संपूर्ण अनुदान खर्च कर दिया था और 31 मार्च, 2024 को अतिशेष 'शून्य' रह गया । वर्ष के दौरान सरकारी अनुदानों पर 8.10 लाख रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ था और उसे 31.03.2024 को सरकार को संदेय दर्शाया गया था ।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में अपने प्रेक्षकों के अधीन रहते हुए, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे लेखा बहियों के सादृश्य हैं ।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पढ़ने पर और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **उपाबंध** में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, -

क) जहां तक उनका संबंध भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के 31 मार्च, 2024 को यथा-विद्यमान कामकाज की स्थिति के तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख) जहां तक उनका संबंध 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष संबंधी आय और व्यय लेखे से है,

भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(एस. अहलादिनी पांडा)

लेखापरीक्षा महानिदेशक

उद्योग एवं कारपोरेट कार्य

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 01 नवम्बर, 2024

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के वर्ष 2023-24 के लेखाओं पर पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट
का उपाबंध**

1, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा अर्ध-वार्षिक(छमाही) रूप में कराई गई थी और वह वर्ष 2023-24 के लिए पूरी कर ली गई है ।

2, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

सहायता अनुदानों की उपयोगिता और लेखांकन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संगठन के आकार के अनुरूप है ।

3. स्थिर आस्तियों की अस्तित्व जांच की पद्धति

आई.बी.बी.आई. द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर आस्तियों की अस्तित्व जांच पूरी की गई थी ।

4. वस्तु-सूची की अस्तित्व जांच की पद्धति

आई.बी.बी.आई में 31 मार्च, 2024 को यथा-विद्यमान कोई वस्तु-सूची नहीं है ।

5. कानूनी देयों का भुगतान करने में नियमितता

आई.बी.बी.आई. ने वर्ष 2023-24 के दौरान कानूनी देयों को नियमित रूप से जमा किया था।

हस्ता/-

निदेशक (ए.एम.जी.-I)

प्ररूप-‘क’
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक का तुलनपत्र

(रकम रुपयों में)

निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि	I	1,07,13,21,932	36,03,98,274
आरक्षितियां और अधिशेष	II	-	-
नियत/विन्यास निधियां	III	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	IV	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	V	-	-
आस्थगित उधार दायित्व	VI	10,13,630	9,12,330
चालू दायित्व और प्रावधान	VII	50,01,89,873	29,56,97,012
कुल		1,57,25,25,435	65,70,07,616
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	VIII	5,84,80,431	3,18,08,168
निवेश -नियत/विन्यास निधियों में से	IX	-	-
निवेश - अन्य	X	72,46,906	1,18,11,284
चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम	XI	1,50,67,98,098	61,33,88,164
प्रकीर्ण व्यय (जहां तक उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
कुल		1,57,25,25,435	65,70,07,616
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

हस्ता.

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा) अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति अध्यक्ष

आई.बी.बी.आई.

आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 28 जून, 2024

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रकम रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुदान/सहायकियां	XII	19,00,00,000	28,77,53,000
फीस/अभिदान	XIII	84,31,23,373	23,64,78,294
निवेशों से आय(निधियों में अंतरित नियत/विन्यास निधियों से निवेश पर आय)	XIV	-	-
स्वामिस्व(रॉयल्टी), प्रकाशन आदि से आय	XV	-	-
अर्जित ब्याज	XVI	4,49,25,116	1,25,89,896
अन्य आय	XVII	3,42,820	2,629
कुल(क)		1.07,83,91,310	53,68,23,819
व्यय			
स्थापना व्यय	XVIII	20,60,12,548	22,59,08,497
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	XIX	14,84,94,256	14,03,23,001
अनुदानों, सहायकियों आदि पर व्यय	XX	-	-
ब्याज	XXI	-	-
अवक्षयण(अनुसूची VIII के तत्स्थानी वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध योग)	XXII	1,29,60,849	73,40,582
कुल (ख)		36,74,67,652	37,35,72,080
अतिशेष, जो व्यय के मुकाबले आय का अधिक्य है (क-ख) विशेष आरक्षिति में अंतरित साधारण आरक्षितिमें/से अंतरित		71,09,23,658	16,32,51,740
अतिशेष, जो समग्र निधि/पूंजीगत निधि में अग्रणीत अधिशेष(कमी) है		71,09,23,658	16,32,51,740
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

हस्ता.

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा) अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति अध्यक्ष

आई.बी.बी.आई.

आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 28 जून, 2024

प्ररूप 'ग'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्त और भुगतान लेखा

(रकम रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
आरंभिक अतिशेष			I. व्यय		
(क) नकदी	32,809	96	क) स्थापना व्यय (अनुसूची XVIII की तत्स्थानी)	14,89,27,469	17,10,36,230
(ख) बैंक अतिशेष		-	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची XIX की तत्स्थानी)	9,49,08,259	11,99,79,191
(i) चालू खातों में	34,66,09,147	16,42,29,572	ग) इनपुट(निवेश) जी.एस.टी.	17,10,95,746	6,58,07,772
(ii) जमा खातों में	22,10,00,000	11,80,00,000	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों में से किए गए भुगतान(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान की विशिष्टियों के साथ-साथ निधि या परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)		
(iii) बचत खातों में	-	-	III. निम्नलिखित में से किए गए निवेश और जमा		
II. प्राप्त अनुदान			क) नियत/ विन्यास निधियों में से	-	-
(क) भारत सरकार से	19,00,00,000	28,77,53,000			
(ख) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूँजीगत अनुदान और राजस्व व्यय पृथक्- पृथक् दर्शाए जाएं)	-	-			
III. निम्नलिखित में से निवेश पर आय			(ख) स्वयं की निधियों में से (निवेश-अन्य)	35,85,000	1,41,50,000
(क) नियत/विन्यास निधियां	-	-	IV. स्थिर आस्तियों और चालू पूँजीगत कार्य पर व्यय		
(ख) स्वयं की निधियां (निवेश-अन्य)	-	-	क) स्थिर आस्तियों का क्रय	27,60,753	1,68,47,721
IV. प्राप्त ब्याज			ख) चालू पूँजीगत कार्य पर व्यय	3,68,72,361	-
(i) बैंक जमा पर	3,19,23,873	1,67,91,471	V. अधिशेष धन/उधारों का		



			प्रतिदाय		
(ii) उधार, अग्रिम आदि	-	-	क) भारत सरकार को	-	-
V. अन्य आय (आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जनित)			ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं को	-	-
(क) आवेदन फीस	84,37,87,447	23,25,31,659	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
(ख) प्रकीर्ण आय	6,32,820	2,629	VII. अन्य भुगतान		
VI. उधार ली गई रकम	-	-	क) प्रतिभूति जमा		
VII. अन्य कोई प्राप्ति/परिपक्व निवेश	1,01,16,118	1,86,00,000	ख) टी.डी.एस. भुगतान	4,61,29,402	3,81,06,955
क) प्रतिभूति जमा	-	3,41,036	ग) जी.एस.टी. भुगतान	10,84,06,041	2,05,23,546
ख) दिवाला व्यावसायिक - अन्य फीस	1,11,300	2,93,850	घ) उधार और अग्रिम	89,96,686	41,50,156
ग) पूर्ववर्ती वर्ष के प्राप्त अग्रिम	-	-	ड) सी.एफ.आई. में ब्याज और शास्ति	14,10,103	6,11,512
घ) प्राप्त आउटपुट (उत्पादन) जी.एस.टी..	30,42,89,744	9,64,19,483	VIII. अंतिम अतिशेष		
ड) शास्ति - सी.एफ.आई.	-	11,85,000	क) नकदी	33,694	32,809
च) समापन और स्वैच्छिक समापन के अदावाकृत आगम	9,94,57,643	8,27,07,243	ख) बैंक अतिशेष		
			i) पी.एन.बी. में चालू खातों और स्वीप खातों में	33,48,35,385	34,66,09,147
			ii) जमा खातों में	1,09,00,00,000	22,10,00,000
			iii) बचत खातों में	-	-
कुल	2,04,79,60,899	1,01,88,55,039	कुल	2,04,79,60,899	101,88,55,039

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

हस्ता.

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

अध्यक्ष

आई.बी.बी.आई.

आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 28 जून, 2024



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची-I
अनुसूची-I
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
निधि(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 7 देखिए)

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	36,03,98,275	19,71,46,535
जमा: निधि मदधे अभिदाय		-
जमा/(कटौती करें): आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय/(व्यय) का अतिशेष	71,09,23,658	16,32,51,739
जमा/(कटौती करें): आरंभिक निधि से समायोजन		-
वर्ष की समाप्ति पर अतिशेष	1,07,13,21,932	36,03,98,274

अनुसूची-II**[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]****आरक्षितियां और अधिशेष**

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. अंतिम लेखा के अनुसार पूंजीगत आरक्षिति वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
2. अंतिम लेखा के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
3. अंतिम लेखा के अनुसार विशेष आरक्षितियां वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
4. अंतिम लेखा के अनुसार साधारण आरक्षिति वर्ष के दौरान परिवर्धन घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

हस्ता.

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा)

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

अध्यक्ष

आई.बी.बी.आई.

आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 28 जून, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-III

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

नियत/विन्यास निधियां

(रकम रुपये में)

	निधि-वार वर्णन				योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) निधियों का आरंभिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-
(ख) निधियों में परिवर्धन						
(i)दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
(ii)निधियों के खाते में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य परिवर्धन(स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-	-	-	-
(ग) निधियों के उद्देश्यों मद्धे उपयोगिता/व्यय						
(i)पूँजीगत व्यय						
- स्थिर आस्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
(ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध अतिशेष (क+ख-ग)	-	-	-	-	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

हस्ता.

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा)

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

अध्यक्ष

आई.बी.बी.आई.

आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख:28 जून, 2024



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-IV
 [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
प्रतिभूत ऋण और उधार

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
(क) आवधिक ऋण	-	-
(ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-
3. बैंक	-	-
(क) प्रोद्भूत और देयआवधिक ऋण ब्याज	-	-
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)- प्रतिभूत और देय ब्याज	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय रकमें	-	-

अनुसूची-V

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

अप्रतिभूत ऋण और उधार

(रकम रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
(क) आवधिक ऋण	-	-
(ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-
3. बैंक	-	-
(क) प्रोद्भूत और देयआवधिक ऋण ब्याज	-	-
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)- प्रतिभूत और देय ब्याज	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय रकमें	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा)अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
 आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 28 जून, 2024

हस्ता.

आई.बी.बी.आई.

हस्ता.



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-VI

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

आस्थगित ऋण दायित्व

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के आडमान द्वारा प्रतिभूत प्रतिग्रहण	-	-
2. अन्य		-
-आई.पी.-अन्य फीस (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 8 देखें)	10,13,630	9,12,330
कुल	10,13,630	9,12,330
टिप्पण: एक वर्ष के भीतर देय रकमें	10,13,630	9,12,330

अनुसूची-VII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

चालू दायित्व और प्रावधान

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. चालू दायित्व				
1. प्रतिग्रहण		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए		-		-
(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.1 देखें)		5,24,27,244		8,58,598
3. प्राप्त अग्रिम(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.2 देखें)		1,46,45,585		93,23,504
4. प्रोद्भूत ब्याज किन्तु निम्नलिखित पर देय नहीं				
(क) प्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
5. कानूनी दायित्व				
(क) अतिशोध्य		-		-
(ख) अन्य		-		-
- सी.पी.एफ. अभिदाय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.3 देखें)	93,70,765		61,87,224	
- एन.पी.एस.अभिदाय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.4 देखें)	-		-	
- संदेय टी.डी.एस. (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.5 देखें)	63,96,928	1,57,67,693	36,60,059	98,47,283
6. अन्य चालू दायित्व				
(क) प्रतिभूति निक्षेप(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.6 देखें)	3,41,036		3,41,036	
(ख) अदावाकृत आगम (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.7 देखें)	27,84,54,803		17,89,97,161	
(ग) सहायता अनुदान, शास्ति और अदावाकृत आगमों पर ब्याज (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं.	2,18,88,408		1,26,18,947	



9.8 देखें)				
(घ) अन्य(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 9.9 देखें)	3,68,51,518	33,75,35,765	1,37,92,141	20,57,49,285
कुल (क)		42,03,76,287		22,57,78,669
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2.उपदान(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.1 देखें)		63,56,079		48,04,894
3. अधिवार्षिकी/पेंशन				
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.2 देखें)				
- पेंशन मद्धे	14,18,400		15,90,432	
- छुट्टी वेतन अभिदाय मद्धे	51,77,501	65,95,901	38,08,548	53,98,980
4.संचित छुट्टी नकदीकरण(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.3 देखें)		76,74,345		48,54,514
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-		-
6.अन्य				
- विद्युत	1,71,227		1,80,000	
- किराया(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.4 देखें)		-	1,26,76,964	
- वेतन(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.5 देखें)	4,71,97,944		3,00,00,000	
- बाह्य स्रोतों से संविदा पर स्टॉफ	20,92,177		12,53,794	
-व्यावसायिक प्रभार	1,24,620		1,61,630	
-टेलीफोन	16,520		16,520	
-दौरे और यात्रा	60,000		1,79,755	
-आतिथ्य	1,46,353		1,55,810	
-लेखापरीक्षक की फीस	6,67,500		6,36,000	
-परीक्षा व्यय	2,93,642		5,74,575	
-प्रकीर्ण व्यय(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 10.7 देखें)	84,17,278	5,91,87,261	90,24,907	5,48,59,954
कुल(ख)		7,98,13,587		6,99,18,343
कुल (क+ख)		50,01,89,873		29,56,97,012

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

हस्ता.

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा)अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

अध्यक्ष

आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 28 जून, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-VIII
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
स्थिर आस्तियां

(रकम रुपये में)

वर्णन	कुल संपत्तियां				अवक्षयण				शुद्ध कुल संपत्तियां	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में विद्यमान	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	वर्ष के अंत तक कुल	वर्ष के अंत में विद्यमान	वर्ष के अंत में विद्यमान	वर्ष के अंत में विद्यमान
क.स्थिर आस्तियां										
1.भूमि										
(क)पूर्ण-स्वामित्व वाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.भवन										
(क) पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)पट्टाधृत भूमि पर										
(ग)स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ)भूमि पर ऐसी अधिश्चनार्ण, जो संस्था की नहीं हैं(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 11.1 देखें)	46,32,374	-	-	46,32,374	18,52,947	4,63,237	23,16,184	23,16,190	27,79,427	
3.संयंत्र,मशीनरी और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.यान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.फर्नीचर औरफिक्स्चर	6,91,901	2,85,330	7,532	9,69,699	3,16,715	85,291	4,01,253	5,68,444	3,75,186	



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-IX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
नियत/विन्यास निधियों से निवेश

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2.अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3.शेयरों में	-	-
4.डिबेंचरों और बंधपत्रों में	-	-
5.सहायकियों और संयुक्त-उद्यमों में	-	-
6.अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-X
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
निवेश-अन्य

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3.शेयरों में	-	-
4.डिबेंचरों और बंधपत्रों में	-	-
5.सहायकियों और संयुक्त उद्यमों में	-	-
6.अन्य(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं.12 देखें)	-	-
-सी.पी.एफ. मद्धे धारितनिधियां	15,00,000	74,79,523
-उपदान मद्धे धारित निधियां	15,28,290	14,42,601
-शास्ति की रकम जमा कराने मद्धे धारित निधियां	42,18,616	28,89,160
कुल	72,46,906	1,18,11,284

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.
पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.
अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख:28 जून, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-XI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
चालू आस्तियां, उधार, अग्रिम आदि

(रकम रुपयो में)

क	चालू आस्तियां, उधार, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	चालू आस्तियां:		
	1. ऋण		
	(क) छह मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
	(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 13 देखें)	52,94,256	12,63,627
	2. नकदी अतिशेष (चैक/ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, अग्रदाय और नकद विदेशी मुद्रा सहित) (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 14 देखें)	33,694	32,809
	3. बैंक अतिशेष		
	(क) अनुसूचित बैंकों के पास:		
	- पंजाब नेशनल बैंक और आई. सी. आई. सी. आई. बैंक में अतिशेष (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 15 देखें)	33,48,35,385	34,66,09,147
	- पब्लिक सेक्टर बैंकों में जमा (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 15 देखें)	1,12,18,46,708	22,80,66,811
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास:		
	- चालू खातों में	-	-
	- जमा खातों में	-	-
	- बचत खातों में	-	-
	4. डाकघर - बचत खाते	-	-
	कुल(क)	1,46,20,10,043	57,59,72,394
ख	उधार, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
	1. निम्नलिखित को उधार		
	(क) कर्मचारिवृन्द	-	-
	(ख) संस्था के क्रियाकलापों/उद्देश्यों के समरूप क्रियाकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं	-	-

(ग) अन्य(विनिर्दिष्ट करें)		-		-
2. नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम और अन्य रकम				
(क)पूँजीगत खाते पर		-		-
(ख)पूर्वसंदाय (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 16 देखें)	3,00,79,614		2,05,97,258	
(ग) अन्य				
वसूली-योग्य जी.एस.टी.	23,41,687		46,13,956	
वसूली-योग्य टी.डी.एस.	1,13,59,163		1,10,08,354	
प्रतिभूति निक्षेप	4,72,000		4,72,000	
वसूली-योग्य विविध				
पूर्वसंदत व्यय	-	4,42,52,464	-	3,66,91,568
3.प्रोद्भूत आय				
(क)नियत/विन्यास निधि में से निवेशों पर		-		-
(ख) निवेशों पर-अन्य		-		-
(ग)उधारों और अग्रिमों पर		-		-
(घ) अन्य		-		-
4. वसूली-योग्य दावे				
5. अग्रिम पर कर		5,35,590		6,37,740
6. एन.पी.एस. अभिदाय		-		86,463
कुल(ख)		4,47,88,054		3,74,15,771
कुल(क+ख)		1,50,67,98,098		61,33,88,164

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.
पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.
अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख:28 जून, 2024



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-XII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

अनुदान/सहायकियां

(अवसूली-योग्य अनुदान और प्राप्त सहायकियां)

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 7 देखें)	19,00,00,000	28,77,53,000
2. सरकारी अभिकरण	-	-
3. संस्थाएं/कल्याण बोर्ड	-	-
4. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
5. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	19,00,00,000	28,77,53,000

अनुसूची-XIII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

फीस/अभिदान

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. फाइल करने की फीस-आवेदन फीस (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 17.1 देखें)		
- दिवाला व्यावसायिक	3,05,60,000	1,18,00,000
- दिवाला व्यावसायिक एजेंसी	15,00,000	15,00,000
- सूचना उपयोगिताएं	8,12,73,226	50,00,000
- रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक	16,03,750	34,25,000
- रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	-	-
- दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं	31,23,628	25,67,041
- परीक्षा फीस-सीमित दिवाला परीक्षा	36,95,000	20,76,016
- मूल्यांकन परीक्षा	1,04,75,000	1,70,06,000
- आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक फीस	3,44,44,416	1,40,53,320
- सी.आई.आर.पी. प्ररूप फाइल करने की फीस	70,61,000	83,36,500
- विनियामक फीस (समाधान योजना/व्यावसायिकों को व्यावसायिकों को काम पर रखना)	66,93,78,879	16,76,02,128
3. सेमीनार/कार्यक्रम फीस	-	-
4. परामर्शी फीस	-	-
5. अन्य - भर्ती से आवेदन फीस	-	-
- शिकायत फीस (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 17.3 देखें)	8,475	12,288
- इवेंट सहायता (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 17.2 देखें)	-	31,00,000
कुल	84,31,23,373	23,64,78,294

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता.

हस्ता.

हस्ता.

तारीख: 28 जून, 2024

पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा), अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
आई.बी.बी.आई.

अध्यक्ष, आई.बी.बी.आई.



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची

अनुसूची-XIV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

निवेशों से आय

(निधियों में अंतरित नियत/विन्यास निधियों से निवेशों पर आय)

(रकम रुपये में)

	नियत निधियों से निवेश		निवेश -अन्य	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बंधपत्रों/डिबेंचरों पर	-	-	-	-
2. लाभांशों पर				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची-XV

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

स्वामिस्व, प्रकाशन आदि से आय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. स्वामिस्व से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-XVI

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

अर्जित ब्याज

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आवधिक निक्षेपों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के पास (अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 18 देखें)	4,49,25,116	1,25,89,896
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
(ग) संस्थाओं के पास	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
(ग) डाकघर बचत खाते	-	-



(घ)अन्य	-	-
3. निम्नलिखित को दिए गए उधारों पर		
(क)कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
(ख)अन्य	-	-
4. ऋणियों और अन्य वसूली-योग्य रकमों पर ब्याज	-	-
कुल	4,49,25,116	1,25,89,896

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.
पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.
अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 28 जून, 2024



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-XVII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

अन्य आय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय/व्ययन से लाभ		
(क) स्वामित्वाधीन आस्तियां	-	-
(ख) अनुदानों से अर्जित या निशुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस	1,095	2,119
3. प्रकीर्ण आय(अनुसूची XXIII का टिप्पण सं. 14.1 देखें)	3,41,725	510
कुल	3,42,820	2,629

अनुसूची-XVIII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

स्थापना व्यय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	14,42,80,145	17,12,96,308
(ख) भत्ते और बोनस	3,59,62,377	3,36,27,805
(ग) भविष्य निधि/अधिवार्षिकी निधि में अभिदाय	81,50,116	66,89,398
(घ) अन्य निधि में अभिदाय-एन.पी.एस.	52,19,944	42,39,843
(ङ) कर्मचारिवृन्द कल्याण व्यय	-	-
(च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत फायदों पर व्यय	1,23,99,966	1,00,55,144
(छ) अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	20,60,12,548	22,59,08,497

अनुसूची-XIX

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) क्रय	-	-
(ख) मजदूरी और प्रक्रमण व्यय	-	-
(ग) आवक ढुलाई और वहन व्यय	-	-
(घ) विद्युत और शक्ति	22,52,739	22,50,384
(ङ) जल प्रभार	10,76,995	10,28,205
(च) बीमा	-	-
(छ) मरम्मत और अनुरक्षण	13,36,095	46,96,182
(ज) किराया, दरें और कर	4,68,49,828	4,75,31,424
(झ) यान चालन, अनुरक्षण या भाड़ा प्रभार	12,55,117	13,06,988
(ञ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	29,55,284	28,21,627
(ट) मुद्रण और लेखन-सामग्री	29,36,786	44,92,482
(ठ) यात्रा और वाहन व्यय	59,20,815	1,06,02,919



(ड) सेमीनार/कार्यशालाओं पर व्यय	40,61,683	63,70,762
(ढ) अभिदान व्यय	-	-
(ण) फीस व्यय	58,47,013	21,39,872
(त) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	9,13,498	7,79,540
(थ) आतिथ्य व्यय	23,44,419	23,97,514
(द) वृत्तिक प्रभार	4,41,78,964	2,41,19,141
(ध) डूबन्त और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान		-
(न) बट्टे खाते में डाले गए अवसूली-योग्य बकाया		-
(प) बैंकिंग प्रभार		-
(फ) भाड़ा और अग्रेषण व्यय		-
(ब) वितरण व्यय		-
(भ) विज्ञापन और प्रचार		-
(म) अन्य		-
- बाह्य स्रोतों से संविदा पर रखे गए स्टॉफ को भुगतान	2,19,27,419	1,78,15,516
-सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकों पर व्यय	32,000	60,000
-पुस्तकें और नियतकालिक प्रकाशन	67,488	86,200
-प्रकाशन व्यय	8,75,378	-
-परीक्षा प्रशासक फीस	27,85,410	1,09,11,020
-प्रकीर्ण व्यय	8,77,324	9,13,225
कुल	14,84,94,256	14,03,23,001

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.

पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.

अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 28 जून, 2024



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2024 तक के तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूची
अनुसूची-XX
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
अनुदानों, सहायकियों आदि पर व्यय

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायकियां	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-XXI
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]
ब्याज

(रकम रुपये में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) नियत उधारों पर	-	-
(ख) अन्य उधारों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.
अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 28 जून, 2024

अनुसूची XXII

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(“संहिता”) की धारा 223(1) में बोर्ड से ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक(सी.एंड ए.जी.) के परामर्श से विहित करे,समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करने की अपेक्षा की गई है। केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 अधिसूचित किए।

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणियां, अनुसूची XXIII में टिप्पण 17.1(छ) के अधीन रहते हुए, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान(आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मापदंडों और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार की जाती हैं।

2. निवेश

2.1 “दीर्घकालिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की लागत का वहन करने में गिरावट, अस्थायी से भिन्न, के लिए प्रावधान किया जाता है।

2.2 “चालू” के रूप में वर्गीकृत निवेश निचली लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है क्योंकि प्रत्येक निवेश को व्यष्टिक रूप से न कि वैश्विक आधार पर समझा जाता है।

2.3 लागत के अंतर्गत अर्जन व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप भी है।

3. स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों का कथन मूल लागत घटा संचित अवक्षयण और ह्रास के लिए प्रावधान, यदि कोई है, के आधार पर किया जाता है। लागत के अंतर्गत अर्जन और सन्निर्माण/संस्थापन में उपगत व्यय और आस्तियों को उसके आशयित उपयोग के लिए कार्यकरण की दशा में लाने पर होने वाले अन्य संबंधित प्रत्यक्ष और आनुषंगिक व्यय आते हैं।

4. अवक्षयण

4.1 अवक्षयण का प्रावधान, स्थिर आस्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा दायित्वों के संपरिवर्तन के कारण उद्भूत होने वाले लागत-समायोजनों पर अवक्षयणकेसिवाय, जिसका संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन के आधार पर क्रमिक अपाकरण होता है, आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट-लाइन पद्धति के आधार पर किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में परिवर्धनों/कटौतियों की बाबत अवक्षयण पर अनुपात के आधार पर विचार किया जाता है।

4.3 ऐसी प्रत्येक आस्ति के लिए, जिसका अर्जन मूल्य 5,000/- रुपए या उससे कम है, उसके अर्जन के

वर्ष में पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है ।

5. प्रकीर्ण व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को उस वर्ष से, जिसमें वह उपगत होता है, पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते डाल दिया जाता है ।

6. राजस्व मान्यता

राजस्व को, अनुसूची-XXIII में टिप्पण 17.1(छ) के अधीन रहते हुए प्रोद्भवन आधार पर माना जाता है।

7. सरकारी अनुदान/सहायकियां

7.1. परियोजनाओं को स्थापित करने की पूंजीगत लागत मद्धे किए गए अंशदान की प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूंजीगत आरक्षिति माना जाता है ।

7.2. अर्जित की गई विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों की बाबत किए गए अनुदानों को संबंधित आस्तियों की लागत में से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है ।

7.3. सरकारी अनुदानों का लेखांकन, वसूली के आधार पर किया जाता है और उपयोगिता का लेखांकन, प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है .।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1. विदेशी मुद्रा में अंकित संव्यवहारों का लेखांकन, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है ।

8.2. यदि विदेशी मुद्रा दायित्व का संबंध स्थिर आस्तियों से है तो चालू आस्तियों, विदेशी मुद्रा उधारों और चालू दायित्वों को, वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर संपरिवर्तित किया जाता है और पारिणामिक लाभ/हानि को, स्थिर आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में उसे राजस्व समझा जाता है ।

9. पट्टा

पट्टा किरायों पर व्यय, लागत पट्टे के निबंधनों के प्रति निर्देश से किया जाता है ।

10. सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं

10.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान मद्धे दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत होता है ।

10.2. कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदीकरण देने के लिए प्रावधान इस उपधारणा के आधार पर प्रोद्भूत और संगणित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में उस फायदे को प्राप्त करने के हकदार हैं ।

अनुसूची-XXIII

आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पण

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 संस्था के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.2 संस्था द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटियों की बाबत - शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

- बैंक द्वारा संस्था की ओर से खोले गए प्रत्यय-पत्रों की बाबत - शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

- बैंकों द्वारा मितिकाटे पर भुगतान किए गए बिल - शून्य रुपए ।
(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगें:

-आय-कर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

-जी.एस.टी. - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

-नगरपालिक कर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.4 पक्षकारों द्वारा आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए किए गए दावों की बाबत, जिनका संस्था द्वारा विरोध किया गया - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: शून्य

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तपोषण पट्टा ठहरावों के अधीन किराए के लिए भावी बाध्यताओं की रकम शून्य रुपए है । (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

4. चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू आस्तियों, उधारों और अग्रिमों का मूल्य, कारबार के साधारण अनुक्रम में वसूली करने पर कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल रकम के समान है ।

5. कराधान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 422(अ) द्वारा अधिसूचित बोर्ड की अधिसूचित लेखांकन नीति की अनुसूची XXIII के पैरा 5 को ध्यान में रखते हुए, जो निम्न प्रकार पठित है "आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कराधेय आय न होने के कारण, आय-कर के लिए कोई उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।" इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. 9/2023 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46 के

अधीन छूट का उपबंध किया है। (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए)।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1 सी.आई.एफ. के आधार पर संगणित आयातों का मूल्य लागू नहीं होता है।

- तैयार माल का क्रय
- कच्ची सामग्री और संघटक (जिसके अंतर्गत अभिवहन में कच्ची सामग्री और संघटक भी हैं)
- पूंजीगत माल
- भंडार, पुर्जे और खपने योग्य सामग्री

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय:

- (i) यात्रा - (चालू वर्ष- शून्य रुपए)(पूर्व वर्ष -शून्य रुपए)।
 - (ii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किए गए विप्रेषण और ब्याज का संदाय: (चालू वर्ष - शून्य रुपए)(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए)।
 - (iii) अन्य व्यय (चालू वर्ष - 7,62,577/-रुपए (पूर्व वर्ष -1,05,484/-रुपए)।
 - (iv) विक्रय पर कमीशन (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए)।
 - (v) विधिक और वृत्तिक व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए)।
 - (vi) प्रकीर्ण व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए)।
- 6.3 विदेशी मुद्रा में उपार्जन: (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए)।

6क. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखापरीक्षकों के रूप में:

- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणन के लिए
- अन्य - सी. एंड ए.जी. लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, जी.एस.टी. और आर.टी.आई. लेखापरीक्षा (चालू वर्ष -9,13,498/-रुपए)(पूर्व वर्ष - 7,79,540/- रुपए)।

7. सरकारी अनुदान

7.1 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन आई.सी.ए.आई. के लेखांकन मानक बोर्ड(ए.एस.बी.) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-12(अब आई.ए.एस. 20) के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा अनुसूची XXII- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - के टिप्पण 7 के अधीन उपबंधित है, सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली के आधार पर किया जाता है और उपयोगिता का लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

बोर्ड की निधि का गठन संहिता की धारा 222 के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जो कि

निम्नलिखित रूप में है:

“(1) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा—

(क) बोर्ड द्वारा इस संहिता के अधीन प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे सभी स्रोतों से, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा -

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाएं ।”

7.2 निधि की स्थिति(सहायता अनुदान और आंतरिक प्राप्तियां) और बोर्ड द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान (सहायता अनुदानों और आंतरिक प्राप्तियों में से) उनका उपयोग तथा 31 मार्च, 2024 को यथा-विद्यमान सहायता अनुदानों का खर्च न किया गया अतिशेष, पूर्व वर्ष के आंकड़ों सहित निम्नलिखित रूप में है:

(लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष	2022-23					2023-24				
	प्राप्तियां	उपयोगिता	स्थिर आस्तियां	शुद्ध अग्रिम	खर्च न किया गया अतिशेष	प्राप्तियां	उपयोगिता	स्थिर आस्तियां	शुद्ध अग्रिम	खर्च न किया गया अतिशेष
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6-(7+8+9)
सहायता अनुदान (साधारण)	1069.00	1069.00	-	-	-	800.00	800.00	-	-	-
सहायता अनुदान (वेतन)	1808.53	1808.53	-	-	-	1100.00	1100.00	-	-	-
सहायता अनुदान (पूजीगत)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



पूर्ण योग	2877.53	2877.53	-	-	-	1900.00	1900.00	-	-	-
आंतरिक रूप से जनित राजस्व	2490.71#	784.78	168.48	36.13	3092.47	8883.91#	1645.07	396.33	94.82	9840.16
सकल योग	5368.24	3662.31	168.48	36.13	3079.93	10783.91	3545.07	396.33	94.82	9827.62

#इसके अंतर्गत, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31क के अधीनवित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1676.02 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6693.79 लाख रुपए की रकम की विनियामक फीस भी है। तथापि, इस विनियम को चुनौती दी गई है और यह माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। किसी प्रतिकूल न्यायिक निर्णय के परिणामस्वरूप इन उपार्जनों का होना/बन्द होना निर्भर करेगा।

7.3. 31.03.2024 को यथा-विद्यमान, निधियों के संघटक निम्नलिखित रूप में हैं:

(लाख रुपयों में)

विशिष्टियां	रकम
वर्ष की समाप्ति पर स्थिर आस्तियां/पूँजीगत डब्ल्यू.आई.पी.(शुद्ध)	584.80
विक्रेताओं को भुगतान किए गए ऐसे अग्रिम, जो व्यय के रूप में माने जाने के लिए लंबित हैं	300.79
बोर्ड के आंतरिक प्रोद्भवनों से जनित निधियां	9827.62
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम निधि	10713.21

8. आस्थगित उधार दायित्व

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 में सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायत और परिवाद फाइल करने का उपबंध है, जिसके विनियम 7 के उप-विनियम (8) में इस प्रकार उपबंध किया गया है "जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा"। ऐसे परिवादों के संबंध में, जो प्रक्रियाधीन हैं, प्राप्त 10,13,630/- रुपए की राशि को अनुसूची VI "आस्थगित उधार दायित्व" के अधीन दायित्व के रूप में रखा गया है (पूर्व वर्ष - 9,12,330/- रुपए)

9. चालू दायित्व

9.1 5,24,27,244/- रुपए की रकम के विविध लेनदारों के अंतर्गत दायित्व सम्मिलित हैं, जिनमें से 5,17,27,876/- रुपए की रकम का संबंध ऐसी निधियों से है जो इसलिए दायित्व के रूप में धारित हैं क्योंकि मामला विचाराधीन है और शेष ऐसे विक्रेताओं के मद्धे हैं जो नैमित्तिक प्रकृति के हैं। (पूर्व वर्ष 8,58,598/- रुपए)।

9.2 प्राप्त किए गए अग्रिमों के अंतर्गत बोर्ड के पास आई.पी./आई.पी.ई./आर.वी./आर.वी.ओ. के रूप में

रजिस्ट्रीकरण/मान्यता के लिए सेवा प्रदाताओं और आवेदकों से प्राप्तियां भी शामिल हैं। (चालू वर्ष - 1,46,45,585/- रुपए - जी.एस.टी. के बाद शुद्ध) (पूर्व वर्ष 93,23,504/- रुपए - जी.एस.टी. के बाद शुद्ध)।

9.3 सी.पी.एफ. मद्धे अभिदाय की 93,70,765/- रुपए की रकम (ब्याज सहित), भागतः पंजाब नैशनल बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और मासिक अभिदाय को पंजाब नैशनल बैंक के पास आवर्ती निक्षेप में रखा गया है (पूर्व वर्ष - सी.पी.एफ. अभिदाय, उस पर ब्याज सहित 61,87,224/- रुपए था)।

9.4 31 मार्च, 2024 को यथा-विद्यमान कोई भी एन.पी.एस. अभिदाय संदेय नहीं है। (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए)।

9.5 स्रोत पर काटे गए कर(टी.डी.एस.) के 63,96,928/- रुपए के देय वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय-कर और जी.एस.टी. प्राधिकारियों के पास सम्यक् रूप से जमा करा दिए गए हैं। (पूर्व वर्ष - 36,60,059/- रुपए के टी.डी.एस. देय जमा किए गए)।

9.6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 3,41,036/- रुपए का प्रतिभूति निक्षेप प्राप्त किया गया है। (पूर्व वर्ष - 3,41,036/- रुपए)।

9.7 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के क्रमशः विनियम 46 और विनियम 39 में बोर्ड के लिए यह उपबंध किया गया है कि किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई हैं और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम को जमा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोला जाए। तदनुसार, बोर्ड ने क्रमशः समापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करने के लिए दो पृथक्-पृथक् खाते खोले हैं। उक्त समापन खातों के 'भारत लोक लेखा' के अधीन प्रक्रियाशील होने के पश्चात् इन बैंक खातों में पड़ा अतिशेष तदनुसार अंतरित कर दिया जाएगा। चालू वर्ष की समाप्ति पर इन खातों में पड़ा अतिशेष 27,84,54,803/- रुपए है। (पूर्व वर्ष -17,89,97,161/- रुपए)।

9.8 सहायता अनुदानों पर ब्याज के रूप में अर्जित 8,10,361/- रुपए, शास्ति की रकम पर ब्याज के रूप में अर्जित 5,33,616/- रुपए की रकम, जो बोर्ड के पास जमा की गई है और समापन और स्वैच्छिक समापन के अवितरित आगमों पर ब्याज के रूप में अर्जित 2,05,44,431/- रुपए की रकम, जो बोर्ड के पास जमा की गई है, वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत की समेकित निधि में प्रेषित की जानी है। (पूर्व वर्ष -1,26,18,947/- रुपए)।

9.9 अन्य चालू दायित्व - अन्य के अंतर्गत (i) 18,000/- रुपए आर.वी. को देय प्रतिदायों के लिए हैं; (ii) 7,20,000/- रुपए आई.पी.ए. द्वारा प्रभारित शास्ति है, जो आई.बी.बी.आई. को प्रेषित की गई है; (iii) 3,11,06,478/- रुपए सरकार को संदेय जी.एस.टी., आर.सी.एम. और जी.एस.टी. कर प्रत्यय के रूप में हैं; (iv) 13,22,040/- रुपए कर्मचारियों को संदेय बकाया वेतन के संबंध में है और (v) 36,85,000/- रुपए(जिसके अंतर्गत प्रोद्भूत ब्याज भी है) दो दिवाला व्यावसायिकों पर उद्गृहीत शास्ति के रकम से संबंधित हैं, जिसे नियत निक्षेप के रूप में रखा गया है। (पूर्व वर्ष -1,37,92,141/- रुपए)।

10. प्रावधान

10.1 बोर्ड के स्थायी अधिकारियों के लिए उपदान की बाबत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 35,04,334/- रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नियमों के अनुसार या मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार 28,51,745/- रुपए का प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष -48,04,894/- रुपए)।

10.2 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के नियमों के अनुसार या मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति फायदों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान के लिए 13,44,206/- रुपए की रकम और पेंशन के लिए 14,18,400/- रुपए की रकम का प्रावधान किया गया है। बोर्ड ने उन अधिकारियों के लिए, जो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन के लिए 38,33,295/- रुपए का भी प्रावधान भी किया है। (पूर्व वर्ष -63,16,577/- रुपए)।

10.3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 के नियम 16 के अनुसरण में, जिसमें यह उपबंध है कि "छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा। अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय उनके पास जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का भुगतान करवाने के हकदार होंगे।", अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों (डब्ल्यू.टी.एम.) के लिए 9,83,334/- रुपए के और अन्य अधिकारियों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017 के अनुसार 66,91,011/- रुपए के छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष -48,54,514/- रुपए)।

10.4 प्रावधान के अंतर्गत बोर्ड के सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2022 से संदेय 3,00,00,000/- रुपए के बकाया वेतन और भत्तों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित प्रावधान भी हैं। चालू वर्ष के लिए बोर्ड के सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों के बकाया के लिए प्रावधान 71.97.944/- रुपए है। (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए)।

10.5 चालू वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड की कानूनी लेखापरीक्षा, संव्यवहार लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सी. एंड ए.जी. और आंतरिक लेखापरीक्षकों को संदेय 6,67,500/- रुपए की लेखापरीक्षा फीस (टी.डी.एस. के बाद शुद्ध) का प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष -6,36,000/- रुपए)।

11. अवक्षयण

11.1 अवक्षयण के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्न प्रकार उपबंध किया जाता है:

आस्तियां	अवक्षयण की दर
कम्प्यूटर/पेरिफेरल/साफ्टवेयर/हार्डवेयर/पुस्तकालय पुस्तकें	40%
कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर और फिक्सचर	10%

भवन	10%
वैबसाइट	25%

11.2 सी.ए.जी. के वर्ष 2023-24 के लिए प्रबंधन पत्र में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मोबाइल फोनों की बाबत अवक्षयण, जो लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया था, उनकी लाभप्रद उपयोगिता के आधार पर 50 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया गया है।

11.3 5,000/- रुपए से अधिक मूल्य वाली 7,163/- रुपए की रकम की पुस्तकालय पुस्तकों को पूंजीकृत किया गया है।

11.4 मयूर भवन परिसर में अतिरिक्त स्थान के लिए विभिन्न ऑनलाइन माइयूल्स और वैबसाइट और नवीकरण कार्य के विकास मद्धे 4,03,95,623/- रुपए की रकम को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में दर्शाया गया है। इसे परियोजनाओं के पूरा होने पर और विक्रेताओं से कर-बीजक प्राप्त होने पर संबंधित नियत आस्तियों के रूप में लेखबद्ध किया जाएगा। (पूर्व वर्ष - 35,23,262/- रुपए)।

12. निवेश

(i) अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) दायित्व के विरुद्ध 15,00,000/- रुपए (ब्याज सहित) की रकम का, आवर्ती निक्षेपों में निवेश किया गया है; (ii) बोर्ड के उपदान संबंधी दायित्व के विरुद्ध 15,28,290/- रुपए (ब्याज सहित) की रकम नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और (iii) दो दिवाला व्यावसायिकों द्वारा जमा की गई शास्ति के विरुद्ध 42,18,616/- रुपए (ब्याज सहित) की रकम, नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है। (पूर्व वर्ष -1,18,11,284/- रुपए (ब्याज सहित)।

13. चालू आस्तियां - ऋणी

52,94,256/- रुपए के ऋण -“अन्य” का संबंध दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और परीक्षा प्रशासकों और अन्य पक्षकारों से शोध्य फीस से है। (पूर्व वर्ष -12,63,627/- रुपए)।

14. नकद अतिशेष

14.1 बोर्ड ने खुदरा नकदी की अग्रदाय व्यवस्था बनाई हुई है जिसकी अनुमोदित सीमा 50,000/- रुपए है। बोर्ड के पास 31 मार्च, 2024 तक 33,694 रुपए (320 जी.बी.पी. के समतुल्य) की विदेशी मुद्रा है।

15. बैंक खातों में रखे अतिशेष

पंजाब नेशनल बैंक में रखे अतिशेष में निम्नलिखित रकमें शामिल हैं:

क. अनुदान खाता - चालू वर्ष-10,90,452.19 रुपए(नामे) (पूर्व वर्ष -3,78,400.53 रुपए (जमा)।

ख. आय खाता - चालू वर्ष - 43,17,948.52(नामे) (पूर्व वर्ष -4,58,08,506.48 रुपए(नामे)।

ग. समपान खाता - चालू वर्ष- 10,19,282.87(नामे) (पूर्व वर्ष -5,79,12,855.36 रुपए (जमा)।

घ.स्वैच्छिक समापन - चालू वर्ष - 12,83,117.89 (नामे) (पूर्व वर्ष -1,08,92,449.71 रुपए (नामे)।

ड. शास्ति खाता -चालू वर्ष- शून्य रुपए (पूर्व वर्ष -10,37,541/- रुपए रुपए)(नामे)।

च. स्वीप खातों में - 2,35,95,294/- (नाम) । (पूर्व वर्ष -23,05,36,195/- रुपए)(नाम) ।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में रखे अतिशेष में निम्नलिखित रकमें शामिल हैं:-

क. अनुदान खाता - चालू वर्ष -4,23,544,30 रुपए(नाम) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

ख. आय खाता - चालू वर्ष - 12,71,126.30(नाम) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

ग. समपान खाता - चालू वर्ष -5,04,574.00(नाम) (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

घ.स्वैच्छिक समापन खाता- चालू वर्ष -5,02,259.39 (नाम) (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

ड. शास्ति खाता -चालू वर्ष - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

च. स्वीप खातों में -30,08,27,786/- (नाम) । (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

16. पूर्वसंदत्त व्यय:

16.1 शासी बोर्ड ने 27 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान(आई.आई.सी.ए.) में तीन वर्ष की अवधि के लिए आई.बी.बी.आई. दिवाला पीठ स्थापित करने का विनिश्चय किया था जिसके लिए एक ही बार में एक करोड़ रुपए का विन्यास अनुदान किया जाना है । बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार आई.आई.सी.ए. द्वारा उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपए की रकमका क्रमिक अपाकरण किया जा रहा है । (चालू वर्ष - 76,53,985/- रुपए) (पूर्व वर्ष - 93,13,108/- रुपए) ।

16.2. अन्य अग्रिमों के अंतर्गत एन.आई.सी.एस.आई. को दिवाला इकोसिस्टम के लिए एकीकृत प्लेटफार्म(आई.पी.आई.ई.) के संबंध में विस्तृत अध्ययन मद्धे संदत्त 1,08,94,396 रुपए की रकम शामिल है और 1,15,31,233/- रुपए के शेष अग्रिमों में ऐसे अग्रिम शामिल हैं जो विक्रेताओं को दिए गए हैं जो कि नियमित प्रकृति के हैं । (पूर्व वर्ष - 1,12,84,150/- रुपए)

17. फीस/अभिदान (अनुसूची XIII)

17.1 फाइल करने की फीस/आवेदन फीस: इसके अंतर्गत नीचे दिए गए स्रोतों से प्राप्त फीस शामिल हैं:

क) दिवाला व्यावसायिक: संहिता की धारा 196(1)(ग) में उपबंधित है कि बोर्ड "इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है।"

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्टूबर, 2022 से यथा-संशोधित विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप क में बीस हजार रुपए के गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है।"

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण

करने के लिए प्राधिकृत है। रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वाकीर किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है। चालू वर्ष - 20,40,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 26,30,000/- रुपए)।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्टूबर, 2022 से यथा-संशोधित विनियम 6 के उप-विनियम (1क) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था, जो विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है, दो लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस सहित. दूसरी अनुसूची के प्ररूप कक में बोर्ड को आवेदन कर सकेगी।”

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकसंस्था के दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वाकीर किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है। चालू वर्ष - 64,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष 80,00,000/- रुपए)।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्टूबर, 2022 से यथा-संशोधित विनियम 7 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“यदि दिवाला व्यावसायिक एक व्यष्टि है तो बीस हजार रुपए की फीस या यदि दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है तो दो लाख रुपए की फीस का संदाय उस वर्ष के पश्चात्, जिसमें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, प्रत्येक पांच वर्ष में बोर्ड को करेगा और ऐसी फीस का संदाय उस वर्ष. जिसमें यह देय होती है, 30 अप्रैल को या उससे पूर्व किया जाएगा।”

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों के रजिस्ट्रीकरण केनवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि नवीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन नवीकरण फीस के रूप में दर्शाया जाता है। चालू वर्ष 2,21,20,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 11,70,000/- रुपए)।

ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड “इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है”।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 के विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“(1) एक कंपनी जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दस लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है ।

(2) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसे विनियम 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के छह महीने पहले इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क पांच लाख रुपए के साथ नवीकरण के लिए आवेदन कर सकती है ।

.....” /

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) में यह उपबंध किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अध्यक्षीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी -

“(क)

(ख)

(ग) बोर्ड को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पांच लाख रुपए की वार्षिक फीस का संदाय करेगी.....” /

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (3) में यह उपबंधित है कि “रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा” ।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को मानी जाती है । चालू वर्ष - 15,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष -15,00,000/- रुपए) ।

ग) सूचना उपयोगिताएं: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड “इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है” ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के 20 सितम्बर, 2022 से संशोधित विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“(1) सूचना उपयोगिता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र कोई व्यक्ति दस लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाने की इच्छुक कोई सूचना उपयोगिता अपना रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने से कम से कम छह मास पहले दस लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन

फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को नवीकरण के लिए आवेदन करेगी ।
.....”।

विनियमों के 20 सितम्बर, 2022 से संशोधित विनियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इन शर्तों के अधीन होगा कि सूचना उपयोगिता करेगी -

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ) बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण, जो भी लागू हो, की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, बोर्ड को एक करोड़ रुपए की फीस का भुगतान करना;

“(ड) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इनफॉर्मेशन यूटिलिटी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के दस प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय करना:

परन्तु ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा, किसी इनफॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा फीस के संदाय में किए गए किसी विलंब पर संदाय किए जाने तक बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज लगेगा ।

.....”।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस, सूचना उपयोगिताओं से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को मानी जाती है। चालू वर्ष -8,12,73,226/- रुपए (पूर्व वर्ष - 50,00,000/- रुपए) ।

घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक: केन्द्रीय सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3401(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 247 के अधीन उसमें निहित शक्तियों और कृत्यों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को प्रत्यायोजित किया है ।

इसके अलावा, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“(1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में पांच हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपाबंध-II के प्ररूप क में आवेदन कर सकता है ।

(2) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र भागीदारी अस्तित्व या कंपनी, प्राधिकरण के पक्ष में दस हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपाबंध-II के प्ररूप ख में आवेदन कर सकती है।

.....”।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने या वापस लिए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है। चालू वर्ष - 16,03,750/- रुपए (पूर्व वर्ष- 34,25,000/- रुपए)।

ड) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन: कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 13 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“(1) कोई पात्र संगठन, जो नियम 12 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु उपाबंध-II के प्ररूप-घ में प्राधिकरण के पक्ष में एक लाख रुपए का गैर-वापसी योग्य भुगतान आवेदन शुल्क देकर आवेदन कर सकता है।

.....”।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। मान्यता फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि मान्यता प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। मान्यता प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन मान्यताफीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है। चालू वर्ष - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए)।

च) दिवाला व्यावसायिक संस्था : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्टूबर, 2022 से संशोधित विनियम 12 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“उप-विनियम (1) के अधीन पात्र कोई व्यक्ति बोर्ड की किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में दो लाख रुपए की आवेदन फीस सहित आवेदन कर सकता है।”

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। मान्यता फीस अग्रिम ली जाती है जब तक कि मान्यता प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। मान्यता प्रदान करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन मान्यता फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है। चालू वर्ष - 28,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 23,50,000/-)।

विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -

- (क) हमेशा विनियम 12 के अधीन अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी;
- (ख) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, जैसा भी मामला हो, तो तीस दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा;
- (ग) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या भागीदार, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्त किया जाता है तो तीस दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा.....।”

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 5 के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। इस फीस को, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से प्ररूप च में प्राप्त सूचना के आधार पर माना जाता है। चालू वर्ष - 3,23,628/- रुपए (पूर्व वर्ष -2,17,041/-)।

छ) परीक्षा फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक ‘सीमित दिवाला परीक्षा’ आयोजित करेगा।”

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड सीमित दिवाला परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.एस.ई.-आई.टी. लिमिटेड को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है। परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है, चूंकि यह रकम अप्रतिदेय है। चालू वर्ष- 36,95,000/- रुपए (पूर्व वर्ष -20,76,017/- रुपए)।

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 5 के उप-नियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“प्राधिकरण ऐसे व्यष्टियों के लिए, जो नियम 4 में यथा-विनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव रखते हैं और किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के सदस्य के रूप में अपना शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, एक या अधिक आस्ति वर्गों के लिए उनके मूल्यांकन संबंधी वृत्तिक ज्ञान, कौशल, मूल्य और नैतिक जांच के लिए या तो स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करेगा।”

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड मूल्यांकन परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.आई.एस.एम. को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है। परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है, चूंकि यह रकम अप्रतिदेय है। चालू वर्ष - 1,04,75,000/- रुपए। (पूर्व वर्ष -1,70,06,000/- रुपए)

ज) आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के 1 अक्टूबर, 2022 से संशोधित विनियम 7 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:-

“यह रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक -

(क).....

(ख).....

(ग).....

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के एक प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप ड में की विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगा;

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2021 को या उससे पूर्व करेगा;

परन्तु यह और कि जहां दिवाला व्यावसायिक एक दिवाला व्यावसायिक संस्था है वहां वह बोर्ड को प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में एक विवरणी सहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के एक प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय करेगी ।

(गख))बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप डक में विवरणी सहित, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर या दिवाला समाधान प्रक्रिया के बन्द हो जाने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31क के उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

.....”।

विनियमों के विनियम 13 के 1 अक्टूबर, 2023 से संशोधित उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -

(क).....

(ख).....

(ग).....

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के

एक प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा;

.....”।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 15 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह संहिता या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उचित समझे, कर सकता है, किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा फीस के संदाय में विलंब करने पर, इन विनियमों के अधीन फीस का संदाय करने की अंतिम तारीख के पश्चात् असंदत फीस की रकम पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बोर्ड को संदत किया जाएगा”।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 3 और अध्याय 5 के अधीन आवर्त पर आधारित फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। इस फीस को दिवाला व्यावसायिकों और दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से क्रमशः प्ररूप ड और प्ररूप छ में प्राप्त सूचना के आधार पर मान्यता दी जाती है। चालू वर्ष - 3,44,44,416/- रुपए। (पूर्व वर्ष -1,40,53,320/- रुपए)।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड समाधान योजनाओं पर और व्यावसायिकों को भाड़े पर लेने पर विनियामक फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। इस फीस को दिवाला व्यावसायिकों से प्ररूप डक में प्राप्त सूचना के आधार पर स्वीकार किया जाता है। चालू वर्ष -66,93,78,879/- रुपए। (पूर्व वर्ष 16,76,02,128/- रुपए)

झ) सी.आई.आर.पी. प्ररूप फाइल करने से फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 40ख में दिवाला व्यावसायिकों द्वारा कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया से संबंधित प्ररूप फाइल करने के लिए उपबंध किया गया है। इसके आगे, विनियम 40ख के उप-विनियम (4) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“इस विनियम के अधीन या तो सुधार, अद्यतन करने या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् प्ररूप फाइल करने पर उसके साथ 1 अक्टूबर, 2020 के पश्चात् विलंब के प्रत्येक कलेंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी”।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड विनियम 40ख के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संगृहीत फीस 70,61,000/- रुपए है। (पूर्व वर्ष 83,36,500/- रुपए)।

17.2 सेमीनार/कार्यक्रम फीस: संहिता की धारा 196(1)(कक) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड “इस संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने में दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा।”

इसके अलावा, धारा 196(1)(ग) बोर्ड को इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस

या अन्य प्रभार उद्गृहीत करने के लिए सशक्त करती है, जिसके अंतर्गत दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शून्य रूपए की इवेंट सहायता फीस स्वीकार की गई है। (पूर्व वर्ष -31,00,000/- रूपए)।

17.3 शिकायत और परिवाद फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“ऐसा पणधारी, जो कोई परिवाद फाइल करना चाहता है, उसे बोर्ड के समक्ष प्ररूप क में फाइल करेगा और उसके साथ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय दो हजार पांच सौ रूपए का मांगदेय ड्राफ्ट या बोर्ड के खाते में फीस मद्धे संदत दो हजार पांच सौ रूपए की आनलाइन अभिस्वीकृति लगाई जाएगी।”

इसके अतिरिक्त, विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (8) में यह उपबंध है कि *“जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रूपए की फीस का प्रतिदाय करेगा।”* प्राप्त की गई फीस “आस्थगित उधार दायित्व” शीर्ष के अधीन दर्शाई जाती है और यदि बोर्ड द्वारा शिकायत/परिवाद को तुच्छ पाया जाता है तो इसे आय माना जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई आय 8,475/- रूपए है। (पूर्व वर्ष - 10,593/- रूपए)।

कंपनी(रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 16 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

“किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के विरुद्ध प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या कोरियर से प्राधिकरण के पक्ष में एक हजार रूपए के गैर-पुर्नभुगतान किए जाने योग्य शुल्क सहित एक शिकायत दायर की जा सकती है और प्राधिकरण शिकायत की जांच करेगा तथा ऐसी आवश्यक कार्यवाही करेगा, जैसा वह उचित समझे:

परन्तु किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जो किसी भागीदारी संस्था का भागीदार या किसी कंपनी का निदेशक है, के विरुद्ध किसी शिकायत के मामले में, प्राधिकरण सुसंगत रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन को शिकायत निर्देशित कर सकेगा और ऐसा संगठन शिकायत का अपनी उप-विधियों के अनुसार निवारण करेगा।”

प्राप्त की गई फीस प्राप्त के आधार पर आय मानी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई आय शून्य रूपए है (पूर्व वर्ष -1,695/-रूपए)।

18. अर्जित ब्याज: चालू वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के अंतर्गत ये हैं - (i) स्वीप सुविधा वाले चालू खाते में अर्जित ब्याज -35,96,274/- रूपए; और (ii) नियत निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज - 4,13,218,842/- रूपए। (पूर्व वर्ष -1,25,89,896/- रूपए)।

19. पूर्व अवधि के ऐसे व्यय, जिन्हें चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है; (i) 9,500/- रुपए की रकम का भुगतान, एक विक्रेता मैसर्स शक्ति मार्केटिंग से कर बीजक प्राप्त होने पर, किया गया है, (ii) 2,67,354/- रुपए की रकम का भुगतान, रेलटेल कारपोरेशन लिमिटेड को इंटरनेट पोर्ट प्रभारों मद्धे किया गया है, (iii) 32,20,175/- रुपए की रकम का भुगतान विभिन्न अधिवक्ताओं को विधिक सेवाओं मद्धे किया गया है, (iv) 11,000/- रुपए की रकमकी प्रतिपूर्ति श्री श्री बी. शंकरनारायणन्, महा-प्रबंधक को वर्ष 2022-23 के लिए पुस्तक अनुदानों मद्धे की गई है ।

20. वित्तीय विवरणियों को भारतीय जी.ए.पी. के अनुरूप तैयार करने के लिए बोर्ड से ऐसे प्राक्कलन और ऐसी उपधारणाएं करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणियों में आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की प्रतिवेदित रकम को प्रभावित करते हैं । यद्यपि यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग में लाए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं तथापि वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं । वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच जो अंतर है उसे उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/फलीभूत होते हैं, सुसंगत लेखा शीर्षों में आय/व्यय के रूप में माना जाना है ।

21. पूर्व वर्ष के तत्स्थानी आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

22. अनुसूची I से अनुसूची XXIII उपाबद्ध की जाती हैं और वे 31 मार्च, 2024 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे का अभिन्न भाग गठित करती हैं ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता.
पूर्णकालिक सदस्य(वित्त एवं लेखा),
आई.बी.बी.आई.

हस्ता.
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

हस्ता.
अध्यक्ष
आई.बी.बी.आई.

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 28 जून, 2024



लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों का अनुपालन

पैरा	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	सी.एंड ए. जी. के प्रेक्षणों का उत्तर
क	<p>क. तुलनपत्र</p> <p>क.1 चालू दायित्व और प्रावधान(अनुसूची-VII): 50.02 करोड़ रुपए</p> <p>क.1.1 सहायता अनुदान पर ब्याज, शास्ति और अदावाकृत आगम: 2.18 करोड़ रुपए</p> <p>उपर्युक्त के अंतर्गत समापन और स्वैच्छिक समापन रकम के अवितरित आगमों पर उपार्जित ब्याज मद्धे 38.56 लाख रुपए की रकम शामिल नहीं है ।</p> <p>भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के क्रमशः विनियम 46 और विनियम 39 में बोर्ड के लिए यह उपबंध किया गया है कि किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई हैं और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम को जमा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोला जाए । तदनुसार, बोर्ड ने क्रमशः समापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करने के लिए दो पृथक्-पृथक् खाते खोले हैं ।</p> <p>आई.बी.बी.आई. ने समापन और स्वैच्छिक समापन रकमों के अवितरित आगमों पर उपार्जित ब्याज के मद्धे अन्य चालू दायित्व के अधीन 2.05 करोड़ रुपए की रकम दर्शाई है, जिसमें से 0.35 लाख रुपए की रकम आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में प्राप्त ब्याज से संबंधित है । तथापि, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा दिए गए बैंक प्रमाणपत्र के अनुसार, आई.बी.बी.आई. ने वर्ष 2023-24 के दौरान 38.91 लाख रुपए का ब्याज उपार्जित किया है(जिसमें स्वैच्छिक समापन खाते पर 16.14 लाख रुपए और समापन खाते पर 22.77 लाख रुपए की रकम शामिल है)</p> <p>इसके परिणामस्वरूप, चालू दायित्व और प्रावधान में 38.56 लाख रुपए (38.91 लाख रुपए - 0.35 लाख रुपए) का कम कथन किया गया है और चालू आस्तियों में भी इतनी ही रकम का कम कथन किया गया है ।</p>	<p>1.यह निवेदन किया जाता है कि आई.बी.बी.आई. की बहियों में स्वीकार किया गया ब्याज आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की खाता विवरणियों के अनुसार है।</p> <p>2.आई.सी.आई.सी.आई.की कार्य-पद्धति इस तरीके से तैयार की गई है कि वह खाता विवरणी में ब्याज को प्रदर्शित किए बिना स्वीप एफ.डी. को स्वतः अगले चक्र के लिए ब्याज सहित रोल ओवर कर देता है ।</p> <p>3.उपरोक्त पद्धति से यह सुनिश्चित होता है कि पूर्ववर्ती एफ.डी. की परिपक्वता की तारीख से पश्चात्वर्ती एफ.डी. के सृजन की तारीख तक के बीच की अवधि के दौरान ब्याज की हानि न हो ।</p> <p>4.जहां तक ब्याज के प्रकटन का संबंध है, लेखापरीक्षा प्रेक्षण को नोट कर लिया गया है । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्याज की रकम को बैंकों से प्राप्त ब्याज प्रमाणपत्रों के आधार पर समुचित रूप से प्रकट किया जाए । वित्तीय वर्ष 2024-25 से यह अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।</p> <p>5. यह उल्लेख किया जाता है कि, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया है, वार्षिक लेखाओं में, 2.05 करोड़ रुपए की रकम का ब्याज(पी.एन.बी. बैंक में 205 लाख रुपए +आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में 0.35 लाख रुपए) पहले ही दर्शाया</p>



		गया है ।
--	--	----------



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

7वीं मंजिल, मयूर भवन,
शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली-110001
www.ibbi.gov.in